न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2021/203
दायरा तिथि : 02.09.2021
निर्णय दिनांक: 12/12/2024

वादीगण :–

1. स्व हेमराज पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) धनवीरलाल पुत्र स्व. हेमराज
   (अ) नाथुलाल पुत्र स्व. हेमराज जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. श्री गंगाराम पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) स्व. चम्पालाल पुत्र स्व. गंगारामजी के का.मु.–
   (क) श्रीमति पुष्पा पत्नि स्व. श्री चम्पालाल
   (ख) श्रीमति मंजू पुत्री स्व. श्री चम्पालाल
   (ग) महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल
   (घ) जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल
   (ड) श्रीमति शारदा पुत्री स्व. श्री चम्पालाल
   (च) हनवंतसिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
2. स्व. श्री गुणेशजी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) स्व. श्री घीसुलाल पुत्र स्व. गुणेशजी के का.मु.–
   (क) श्रीमति सुखीदेवी पत्नि स्व. घीसुलाल
   (ख) रिंकु पुत्री स्व. स्व. घीसुलाल
   (ग) संजय पुत्र स्व. स्व. घीसुलाल
   (घ) सरोज पुत्री स्व. स्व. घीसुलाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
3. स्व. श्री ताराजी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) मांगीलाल पुत्र स्व. ताराजी
   (ब) श्रीमति पुष्पा पुत्री स्व. ताराजी जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
4. स्व. श्री शिवलाल पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) श्रीमति सुकी बाई पत्नि स्व. श्री शिवलाल
   (ब) नरपत कुमार पुत्र स्व. श्री शिवलाल
   (स) भोपतलाल पुत्र स्व. श्री शिवलाल
   (द) कमला पुत्री स्व. श्री शिवलाल
   (य) पुष्पा पुत्री स्व. श्री शिवलाल
   (र) लीला पुत्री स्व. श्री शिवलाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
5. स्व. श्री गिरधारी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) श्रीमति भवरी बाई पत्नि स्व. गिरधारी
   (ब) अशोक पुत्र स्व. श्री गिरधारी जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री जयकिशोर लखारा ..... वादीगण की ओर से
2. श्री अभिनव परिहार ..... प्रतिवादी संख्या 02(क) की ओर से
3. प्रतिवादी सं 01(क) से (च), 02(ख से घ), प्रतिवादी सं 03 के का.मु., प्रतिवादी सं. 04 व 05 के का.मु. अनुपस्थित
4. प्रतिवादी सं. 06 पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक :

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगाय 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/6, 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 के पूर्वज प्रभुजी पुत्र मन्नाजी कौम राव के खातेदारी भूमि रही है। वादीगण के पूर्वज प्रभुदान उर्फ प्रभुजी पुत्र मन्नाजी का

पैरोकार.....02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 75/2021 Gcms No. 2021/203

अनवान स्व. हेमराज के कामु धनवीर लाल वगैरा बनाम स्व. गंगाराम के कामु चम्पालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

निर्वसीयती देहांत हुआ है। जिससे वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 का बराबर हक हिस्सा आता है तथा इसी अनुसार सभी खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 के वारिसान पुश्तेनी हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज होना था परतु वादग्रस्त भूमि के संबंध में दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं 127 से वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा के गत खसरा नंबर 1874 रकबा सवा चार बीघा एक बिस्वा में प्रभुदान पुत्र मन्नाजी कौम राव के स्थान पर चम्पा पुत्री गंगाराम, घीसु, तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी पिता गुणेश कौम राव सा देह खातेदार दर्ज कर दिया गया जबकि तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी गुणेश के पुत्र न होकर गुणेश के भाई थे इस प्रकार घीसुलाल को 1/2 हिस्से में रखा गया तथा शेष को 1/2 हिस्से में रख दिया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नंबर 1874 से बने हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर में उक्त इन्द्राज को दोहरा दिया गया। जो जमाबंदी संवत 2024 से 2047 में भी बदस्तुर इन्द्राज कायम रहा। सेग्रीगेशन कार्यवाही के दौरान चंपालाल पुत्र गंगाराम को 1/2 हिस्सा में दर्ज किया तथा शेष 1/2 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 5 को 1/10, 1/10 हिस्से का सह खातेदार दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार नामांतरकरण सं 127 वादीगण के हितो के विरूद्ध दाखिल व स्वीकृत होने तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 स्व. प्रभुदान उर्फ प्रभु पुत्र मन्नाजी कौम राव के वारिस होने से तथा प्रभुदान उर्फ प्रभु पुत्र मन्ना का निर्वसीयती देहांत होने से वादीगण पुश्तैनी हक अनुसार उक्त इनद्राज को चुनौती देने के अधिकारी है। तथा पुश्तैनी हक हिस्सा के अनुसार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषणा खातदेारी पाने के अधिकारी है। जो प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार वाद वादीगण के पक्ष में होने से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य कम्प्युटर प्रति जमाबंदी बेडा–1 के खसरा नंबर 1461 की प्रति, प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम बेडा का मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपी नामांतरकरण सं 127 स्वीकृति दिनांक 13.05.71, प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी संव 2044 से 2047 खाता 429, प्रमाणित प्रतिलिपी खतौनी संवत 2027 से 2030 खाता सं. 453, फोटो प्रति पर्चा प्रति नोटिस हेमराज पुत्र प्रभुजी का, फोटो प्रति खतौनी संवत 2048 से 2051 खाता सं. 540, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र शिवलाल प्रभुजी, फोटो प्रति परिवार कार्ड हेमराज पुत्र प्रभुजी, फोटो प्रति निर्वाचन कार्ड गिरधारीलाल प्रभुजी, फोटो प्रति वारिसदार प्रमाण पत्र प्रभुजी के वारिसात का ग्राम पंचायत बेडा द्वारा जारी पेश किये गये। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य गवाह धनवीरदान पुत्र हेमराज राव, महावीर सिंह पुत्र करणसिह राजपूत के बयान कलमबद्ध करायें गये।

प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी सं 4(अ) व 5(अ) कैम्प कोर्ट बेडा में दिनांक 18.10.2021 को व्यक्तिशः उपस्थित हुये। इसके पश्चात उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी सं 2(अ)(क) की ओर से अधिवक्ता श्री अभिनव परिहार द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण अर्थात् प्रतिवादी सं 2(अ)(क) के अलावा समस्त प्रतिवादीगण वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2022 की आदेशिका से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं 6 पैरोकार सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नही होने से जवाबदावा पेश नही किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं 2(अ)(क) का इकबालिया जवाबदावा प्राप्त होने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से वादीपक्ष की मौखिक साक्ष्य के पश्चात उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हे कि ग्राम बेडा चक प्रथम स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वादीगण व प्रतिवादी सं 1 लगाय 5 के पूर्वज प्रभुदान उर्फ प्रभु पुत्र मन्नाजी कौम राव निवासी बेडा के खातेदारी की भूमि रही है। जिनके देहांत के पश्चात दाखिल व स्वीकृत नामांतरकरण सं 127 से चंपा पुत्र गंगाराम, घीसु, तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी पि. गुणेश कौम राव सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त नामांतरकरण से तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी को गलत रूप से गुणेश का पुत्र अंकन कर त्रुटिपूर्ण वल्दियत अंकित कर दी गई, जबकि घीसु ही गुणेश का एक पुत्र था। यद्यपि उक्त नांमांतरकरण से स्व प्रभुदान के वारिसान का हिस्सा दर्ज नही किया गया। परंतु उक्त प्रविष्टि के अवलोकन से 1/2 हिस्सा में चंपालाल पुत्र गंगाराम तथा शेष 1/2 हिस्सा में स्व. प्रभुदान के 4 पुत्रों यथा तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी एवं गुणेश के पुत्र घीसु को बतौर सह खातेदार रखते हुये वल्दियत में गुणेश का नाम अंकन कर दिया जबकि गुणेश इनका भाई था। सही तौर से चंपालाल पुत्र गंगाराम, घीसुलाल पुत्र गुणेश, तारिया, हेमराज, शिवलाल, गिरधारी पिसरान प्रभुदान कौम राव बहिस्सा बराबर 1/6, 1/6 दर्ज किया जाना था। उक्त त्रुटि की वजह से सेग्रीगेशन के बाद बनी जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि ग्राम बेडा प्रथम के हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर में 1/2 हिस्सा में चम्पालाल पुत्र गंगाराम जाति राव एवं शेष 1/2 हिस्सा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के नाम इन्द्राज कर दिया गया। जिससे वादीगण पुश्तैनी हक अनुसार वादग्रस्त भूमि में स्व0 प्रभूजी के तमाम वारिशान हेमराज, गंगाराम, गुणेश, तारिया, शिवलाल, गिराधारी के 1/6, 1/6 हिस्से की घोषणा खातेदारी पाने के साथ प्रतिवादीगण के

पेज लगातार.....03

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 75/2021 Gems No. 2021/203

अनवान स्व. हेमराज के कामु धनवीर लाल वगैरा बनाम स्व. गंगाराम के कामु चम्पालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराने के अधिकारी बनते है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2(अ) (क) के अधिवक्ता द्वारा ईकबालिया जवाबदावा भी पेश किया जा चुका है, तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हो चुके है। जिससे प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो एवं मौखिक साक्ष्यो के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

–:: निर्णय ::–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादीगण को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को क्रमशः 1/6, 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नही करे इस हेतू प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। रिकार्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली एवं पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 12/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2021/203

वादीगण :–

1. स्व हेमराज पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) धनवीरलाल पुत्र स्व. हेमराज
   (अ) नाथुलाल पुत्र स्व. हेमराज जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. श्री गंगाराम पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) स्व. चम्पालाल पुत्र स्व. गंगारामजी के का.मु.–
   (क) श्रीमति पुष्पा पत्नि स्व. श्री चम्पालाल
   (ख) श्रीमति मंजू पुत्री स्व. श्री चम्पालाल
   (ग) महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल
   (घ) जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल
   (ड) श्रीमति शारदा पुत्री स्व. श्री चम्पालाल
   (च) हनवंतसिंह पुत्र स्व. श्री चम्पालाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
2. स्व. श्री गुणेशजी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) स्व. श्री घीसुलाल पुत्र स्व. गुणेशजी के का.मु.–
   (क) श्रीमति सुखीदेवी पत्नि स्व. घीसुलाल
   (ख) रिंकु पुत्री स्व. स्व. घीसुलाल
   (ग) संजय पुत्र स्व. स्व. घीसुलाल
   (घ) सरोज पुत्री स्व. स्व. घीसुलाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
3. स्व. श्री ताराजी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) मांगीलाल पुत्र स्व. ताराजी
   (ब) श्रीमति पुष्पा पुत्री स्व. ताराजी जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
4. स्व. श्री शिवलाल पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (अ) श्रीमति सुकी बाई पत्नि स्व. श्री शिवलाल
   (ब) नरपत कुमार पुत्र स्व. श्री शिवलाल
   (स) भोपतलाल पुत्र स्व. श्री शिवलाल
   (द) कमला पुत्री स्व. श्री शिवलाल
   (य) पुष्पा पुत्री स्व. श्री शिवलाल
   (र) लीला पुत्री स्व. श्री शिवलाल जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
5. स्व. श्री गिरधारी पुत्र स्व. प्रभुजी के का.मु.–
   (क) श्रीमति भवरी बाई पत्नि स्व. गिरधारी
   (क) अशोक पुत्र स्व. श्री गिरधारी जाति राव निवासी बेडा तहसील बाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण Gcms No. 2021/203

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1461 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत वादीगण को 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को क्रमशः 1/6, 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नही करें। इस हेतू प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/12/24 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner